DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

22 June, 2024

ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी का सत्यापन

संदर्भ: हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के बाद ग्यारह उम्मीदवारों ने ईवीएम बर्न मेमोरी को सत्यापित करने के लिए आवेदन किया है।

- **मामला**: यह माला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग से सम्बंधित है।

➢ **अदालत ने क्या कहा है?**

- **ईवीएम-वीवीपीएटी प्रणाली:** न्यायलय ने इसे यथावत रखा है; लेकिन इसे मतपत्रों और वीवीपीएटी पर्चियों की 100% गिनती की याचिका खारिज कर दी गई है।
- **सत्यापन अधिकार:** दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा खंड में 5% तक ईवीएम में बर्न्ट मेमोरी के सत्यापन की मांग कर सकते हैं।
- **पहचान:** उम्मीदवार या प्रतिनिधि मतदान केंद्र या सीरियल नंबर से ईवीएम की पहचान कर सकते हैं।
- **उपस्थिति**: सत्यापन के दौरान उम्मीदवार वहां मौजूद रह सकते हैं।
- **अनुरोध की समय सीमा**: परिणाम घोषित होने के सात दिनों के अन्दर ही अनुरोध किया जाना चाहिए।
- **खर्च:** उम्मीदवारों को सत्यापन लागत वहन करनी होगी, अगर छेड़छाड़ पाई जाती है तो यह वापस की जाएगी अन्यथा नहीं।

➢ **ईवीएम सत्यापन के लिए प्रशासनिक भागीदारी:**

- **डीईओ की भूमिका:** जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) प्रक्रिया की देखरेख करते हैं।
- **सत्यापन का अनुरोध:** दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 5% तक ईवीएम के सत्यापन का अनुरोध कर सकते हैं। यदि दोनों अनुरोध करते हैं, तो प्रत्येक को 2.5% सत्यापित किया जाता है।
- **इकाइयों का चयन:** उम्मीदवार मतदान केंद्र या बैलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी की विशिष्ट क्रम संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं।
- **जमा राशि:** उम्मीदवारों को ईवीएम (बीयू, सीयू और वीवीपीएटी) के प्रत्येक सेट के लिए 40,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी जमा करना होगा।
- **अधिसूचना:** डीईओ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस सम्बन्ध में आवेदन भेजते हैं, जो परिणामों के 30 दिनों के भीतर ईवीएम निर्माताओं को सूचित करते हैं।
- **प्रारंभ:** परिणाम घोषित होने के 45 दिनों की अवधि के बाद सत्यापन शुरू होता है, जिसमें चुनाव याचिकाएँ शामिल होती हैं। यदि याचिकाएँ दायर की जाती हैं, तो न्यायालय के आदेश के बाद सत्यापन शुरू होता है।
- **स्थान**: निर्माताओं की सुविधाओं के अनुसार एक निर्दिष्ट हॉल निर्धारित होता है।
- **सुरक्षा**: स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी कैमरे, एकल प्रवेश/निकास और सशस्त्र पुलिस की मौजूदगी।
- **प्रतिबंध:** हॉल के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित है।

➢ **EVM की विशेषताएँ:**

- **अधिकतम वोट**: EVM 2,000 तक के वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे दक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।
- **सुरक्षा:** छेड़छाड़ के प्रयासों का पता लगाने के लिए यह सील और सुरक्षा कोड जैसी छेड़छाड़-साक्ष्य सुविधाओं से लैस होता है।
- **एन्क्रिप्शन:** वोटों को एक एन्क्रिप्टेड प्रारूप में संग्रहीत किया जाता है, जिससे गोपनीयता और अखंडता बनी रहती है।
- **बैटरी/सेल:** यह क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित, जो उन्हें सीमित बिजली पहुँच वाले स्थानों के लिए उपयुक्त बनाती है।
- **त्वरित मिलान**: वोटों को जल्दी से गिना जा सकता है, जिससे तत्काल और सटीक परिणाम मिलते हैं।
- **हल्का वजन:** EVM वजन में हल्के और पोर्टेबल होते हैं, जिससे दूरदराज के मतदान केंद्रों तक परिवहन की सुविधा मिलती है।
- **भाषा विकल्प:** विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कई भाषाओं में मतपत्र विकल्प प्रदर्शित कर सकता है।
- **VVPAT:** यह मतदाता सत्यापन और चुनाव के बाद के ऑडिट के लिए मतदाता-सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल तैयार करता है।

भारत में गरीबी रेखा

संदर्भ: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख बिबेक देबरॉय, भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा के पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा गरीबी की परिभाषा

यूएन गरीबी को विकल्पों और अवसरों से वंचित करने तथा मानवीय गरिमा के उल्लंघन के रूप में परिभाषित करता है। जिसके मुख्य पहलुओं में शामिल हैं:

- समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने की बुनियादी क्षमता का अभाव।
- परिवार को भोजन और कपड़े देने के लिए अपर्याप्त संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक अपर्याप्त पहुँच, खाद्य उत्पादन के लिए अपर्याप्त भूमि, रोजगार और ऋण की उपलब्धता।
- असुरक्षा, शक्तिहीनता, बहिष्कार और हिंसा के प्रति संवेदनशीलता जैसे करक।
- स्वच्छ जल या स्वच्छता तक पहुँच के बिना सीमांत वातावरण में रहना।
- गरीबी, आय की कमी से कहीं अधिक है; इसमें भूख, कुपोषण, सीमित शिक्षा, सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार, और निर्णय लेने में भागीदारी की कमी इत्यादि सभी शामिल हैं।

विश्व बैंक की गरीबी की परिभाषा

- **पूर्ण गरीबी**: मूल रूप से वर्ष 1990 में इसे प्रति दिन 1 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में संशोधित कर 1.90 डॉलर प्रति दिन (अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा) कर दिया गया।
- **संशोधित उपाय (2017):**
  - **अत्यधिक गरीबी**: प्रतिदिन $1.90 से कम पर जीवन यापन करना (अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा)।
  - **निम्न-मध्यम आय वाले देश**: गरीबी रेखा प्रतिदिन $3.20 निर्धारित की गई (उदाहरण के लिए, मिस्र, भारत)।
  - **उच्च-मध्यम आय वाले देश:** गरीबी रेखा प्रतिदिन $5.50 निर्धारित की गई (उदाहरण के लिए, जमैका, दक्षिण अफ्रीका)।
  - **उच्च आय वाले देश:** गरीबी रेखा प्रतिदिन $21.70 निर्धारित की गई (उदाहरण के लिए, यूएसए)।
- **सामाजिक गरीबी रेखा (एसपीएल) - 2018**: यह प्रतिदिन $1.90 आय वाली पूर्ण गरीबी रेखा को एक सापेक्ष घटक के साथ जोड़ती है जो औसत खपत या आय के साथ बढ़ता जाता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

22 June, 2024

गरीबी मापन अवधारणाएँ:

- **गरीबी रेखा**: बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी/बास्केट खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यय (या आय)।
- **गरीबी रेखा टोकरी/बास्केट (पीएलबी)**: वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी जो बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- **गरीबी अनुपात या हेडकाउंट अनुपात (एचसीआर):** यह गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात बताती है।
- अधिकांश देश और विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान इस दृष्टिकोण का पालन करते हैं।

भारत में गरीबी का आकलन:

- **1979**: वाई. के. अलघ समिति ने पहली आधिकारिक ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाएँ पेश कीं।
- **1993:** डी. टी. लकड़वाला समिति ने इन रेखाओं का विस्तार राज्यों तक बढ़ाया, जिससे राज्य-स्तरीय गरीबी की गणना की जा सके।
- **2005**: तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण गरीबी रेखा को ऊपर की ओर संशोधित किया, जिसमें बहुत कम होने की आलोचनाओं का समाधान किया गया।
- **2012**: रंगराजन समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी रेखाओं में और वृद्धि की सिफारिश की। इन सिफारिशों को अभी तक अपनाया नहीं जा सका है।

Poverty Estimates by Different Committees

Year	Lakdawala Committee Estimates			Tendulkar Committee Estimates			Rangarajan Committee Estimates		
	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
1993-94	37.3	32.4	36.0	50.1	31.8	45.3	-	-	-
2004-05	28.3	25.7	27.5	41.8	25.7	37.2	-	-	-
2009-10	-	-	-	33.8	20.9	29.8	39.6	35.1	38.2
2011-12	-	-	-	25.7	13.7	21.9	30.9	26.4	29.5

भारत में वर्तमान आधिकारिक गरीबी अनुमान तेंदुलकर समिति की रेखा पर आधारित हैं:

- **तेंदुलकर समिति के अनुमान**: 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है।
- **रंगराजन समिति के अनुमान**: 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है।

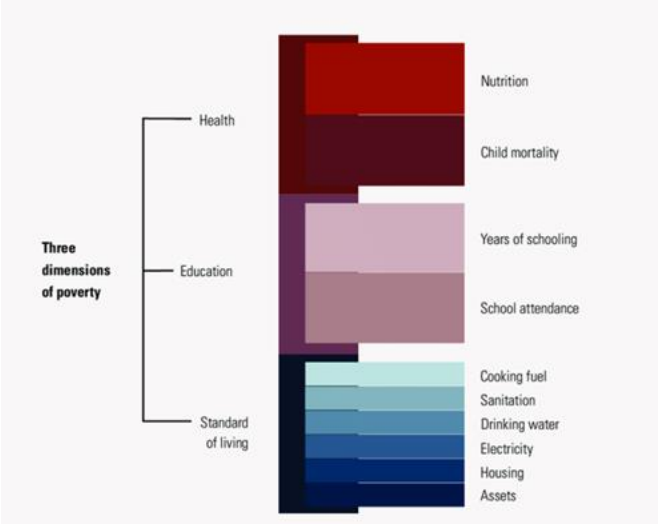

PMLA के तहत ट्विन टेस्ट

संदर्भ: *दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई हालिया जमानत पर रोक लगा दी, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक तत्काल याचिका दायर की थी।*

धारा 45 और ट्विन टेस्ट:

- **प्रावधान:** धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 में कहा गया है कि कोई भी अदालत इस कानून के तहत अपराधों के लिए कुछ शर्तों के अलावा जमानत नहीं दे सकती है, इस बात पर जोर देते हुए कि जमानत अपवाद है, नियम नहीं।
- **सरकारी वकील की भूमिका**: धन-शोधन निवारण अधिनियम का प्रावधान सभी जमानत आवेदनों में सरकारी वकील की सुनवाई को अनिवार्य बनाता है। यदि अभियोजक जमानत का विरोध करता है, तो अदालत को ट्विन टेस्ट लागू करना चाहिए।
- **ट्विन टेस्ट की शर्तें:**
  1. यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है।
  2. आरोपी द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

अन्य कानूनों में समान प्रावधान:

- **तुलनीय प्रावधान**: निम्नलिखित कानूनों में समान कठोर जमानत प्रावधान मौजूद हैं:
- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (धारा 36AC)
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (धारा 37)
- गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 (धारा 43D(5))

ट्विन टेस्ट को कानूनी चुनौतियाँ:

- **2017 का निर्णय:** निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुचित वर्गीकरण के कारण असंवैधानिक होने के कारण ट्विन टेस्ट को खारिज कर दिया, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- **2018 संशोधन**: संसद ने वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से प्रावधानों को फिर से शामिल किया, जिसे चुनौती दी गई और विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में 2022 का निर्णय दिया गया।
- **2022 का फैसला**: उच्चतम न्यायलय ने मनी लॉन्ड्रिंग की गंभीरता और राष्ट्रीय अखंडता के लिए इसके खतरे पर जोर देते हुए दोहरे परीक्षण को बरकरार रखा।

कानून की वर्तमान स्थिति:

- **लंबित चुनौतियाँ:** धन विधेयक रूट के माध्यम से संशोधनों को पारित करने के संबंध में एक बड़ी बेंच वाली चुनौती अभी भी उच्चतम न्यायलय के समक्ष लंबित है।
- **वर्ष 2022 के फैसले की समीक्षा:** हालाँकि समीक्षाधीन, विजय मदनलाल चौधरी का फैसला वैध बना हुआ है, जिसके लिए नियमित और अग्रिम जमानत दोनों के लिए दोहरे परीक्षण के कठोर आवेदन की आवश्यकता है।
- **सीआरपीसी की धारा 436ए:** यदि ट्रायल उस समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होता है, तो आरोपी व्यक्ति विचाराधीन कैदी के रूप में, अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी करने के बाद, दोहरे परीक्षण की परवाह किए बिना जमानत पाने के हकदार हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

22 June, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

जीएसटी परिषद

वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण आज (22 जून, 2024) नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी।

जीएसटी परिषद के बारे में:

- जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के तहत संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा की गई है।
- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार, जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 279A के लागू होने के 60 दिनों के भीतर किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- यह परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
- यह कर दरों, छूटों, सीमा और मॉडल जीएसटी कानूनों सहित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
- परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
- अनुच्छेद 279A(5) के अनुसार परिषद पेट्रोलियम उत्पादों और विमानन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाने की तिथि की सिफारिश करेगी।
- अनुच्छेद 279A(8) परिषद के कार्यों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 279A(11) परिषद की सिफारिशों से उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए तंत्र स्थापित करता है।

माता नी पचेड़ी पेंटिंग

माता नी पचेड़ी पेंटिंग के बारे में:

- माता नी पचेड़ी पश्चिमी भारत की एक पारंपरिक कपड़ा पेंटिंग कला है जिसमें कपड़े पर देवी-देवताओं को दर्शाया जाता है।
- पेंटिंग्स गूजर के वाघरी समुदाय से जुड़ी हैं, जो पारंपरिक रूप से साबरमती नदी के किनारे रहते थे।
- यह नाम गुजराती शब्दों माता से आया है जिसका अर्थ है "माँ देवी", नी का अर्थ है "संबंधित", और पचेड़ी का अर्थ है "पीछे"।
- पेंटिंग्स बांस की कलम (कलम) और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाई जाती हैं, और अक्सर काले और गहरे लाल रंग के सख्त रंग पैलेट का पालन करती हैं।
- काला रंग लोहे से एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसमें 15 दिन तक लग सकते हैं। माता नी पचेड़ी को कभी-कभी गुजरात की कलमकारी कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की कलमकारी कला से मिलती जुलती है और उसी पेंटिंग पद्धति का उपयोग करती है।

खबरों में व्यक्तित्व
संत कबीर दास

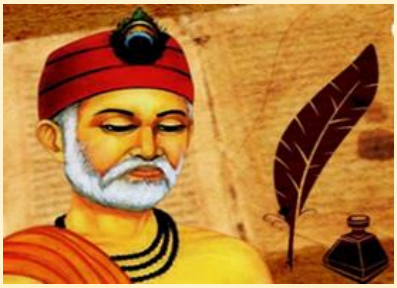

द्रिक पंचांग के अनुसार, आज संत कबीर दास जयंती मनाई जा रही है।

संत कबीर दास:

संत कबीर दास, एक प्रसिद्ध भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, जिनका जन्म 15वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था।

योगदान:

- कबीर ने ईश्वर की एकता और सभी मानवता की अंतर्निहित आध्यात्मिक एकता पर जोर दिया।
- उनकी कविता और शिक्षाएँ धार्मिक सीमाओं के पार प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को बढ़ावा देती हैं।
- कबीर ने अपनी कविताओं की रचना स्थानीय हिंदी भाषा में की, जो अपनी सादगी और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की गहराई के लिए जानी जाती हैं।
- उनके छंद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जो उनकी सार्वभौमिक अपील और प्रभाव को दर्शाता है।
- उनकी रचनाओं में बीजक, कबीर ग्रंथावली, साखी ग्रंथ और कई दोहे (दोहे) शामिल हैं जो उनके आध्यात्मिक ज्ञान को समेटे हुए हैं।

भक्ति आंदोलन:

- भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में छठी और सातवीं शताब्दी के आसपास हुई थी, जो अलवर (विष्णु भक्त) और नयनार (शिव भक्त) जैसे भक्तों द्वारा गाए गए भजनों के माध्यम से लोकप्रिय हुआ।
- भक्ति परंपराओं को अक्सर सगुण (गुणों के साथ) और निर्गुण (गुणों के बिना) में वर्गीकृत किया जाता है, जो भगवान के मानवरूपी या अमूर्त रूपों में देवताओं की पूजा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- कबीर जैसे भक्ति कवियों ने जातिगत भेदभाव और अधिनायकवाद को चुनौती दी, भगवान के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक समानता की वकालत की।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

सुर्खियों में स्थल

नामीबिया

हाल ही में, नामीबिया की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाने वाले औपनिवेशिक युग के कानून असंवैधानिक और अमान्य हैं।

नामीबिया (राजधानी: विंडहोक)

अवस्थिति: नामीबिया, आधिकारिक तौर पर नामीबिया गणराज्य, दक्षिणी अफ्रीका में एक देश है।

सीमाएँ: नामीबिया बोत्सवाना (पूर्व), अटलांटिक महासागर (पश्चिम), अंगोला और जाम्बिया (उत्तर) और दक्षिण अफ्रीका (दक्षिण और दक्षिण पूर्व) के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है।

भौतिक विशेषताएँ:

- नामीबिया का सबसे ऊँचा स्थान ब्रैंडबर्ग पर्वत है।
- नामीबिया की प्रमुख नदियों में दक्षिण अफ्रीका के साथ इसकी दक्षिणी सीमा पर ऑरेंज नदी, अंगोला के साथ इसकी उत्तरी सीमा पर कुनेन नदी और कैप्रीवी पट्टी में ओकावांगो नदी शामिल हैं।
- नामीबिया खनिजों से समृद्ध है, जिसमें हीरे, यूरेनियम, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता और टूमलाइन और एक्वामरीन जैसे अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हैं।
- नामीबिया की जलवायु मुख्यतः शुष्क से लेकर अर्ध-शुष्क है, जिसमें दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं।

POINTS TO PONDER

- किस भारतीय वृत्तचित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोंच पुरस्कार के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र जीता? – **द गोल्डन थ्रेड**
- विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? – **संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD)**
- हाल ही में छह एशियाई शेर किस वन्यजीव अभयारण्य से बर्दा वन्यजीव अभयारण्य में चले गए? – **गिर राष्ट्रीय उद्यान**
- 2024 में, कौन सा देश उस वर्ष में पहला और विश्व स्तर पर 51वां देश बन गया, जिसने मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस (नींद की बीमारी) के गैम्बिएंस रूप को समाप्त कर दिया? – **चाड**
- भारत के किस क्षेत्र से इंडिकोनेमा नामक एक नए मीठे पानी के डायटम जीनस की खोज की गई? – **पूर्वी और पश्चिमी घाट**